<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-752 / 08

संस्थित दिनांक- 29.12.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. बाबूलाल पुत्र पचुआ अहिरवार उम्र 33 साल
- 2. पप्पू उर्फ रामसिंह पुत्र कुन्दा अहिरवार उम्र 34 साल
- 3. जुगराज पुत्र ग्यारसी लाल आदिवासी उम्र 46 साल
- अमोल पुत्र गनेशा आदिवासी उम्र 27 साल निवासी गण– ग्राम पाण्डरी सिहपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 21.04.17 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा—457, 380 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 28.09.2008 एवं 29.09.2008 की दरमियानी रात में फरियादी ग्यारसी लाल के मकान स्थित ग्राम पांडरी सिंहपुर में चोरी करने के आशय से रात्रों गृह भेदन कर फरियादी ग्यारसी लाल के निवास से चार बोरी उडद और दो बोरी गेंहू जिनकी कीमत करीबन 6000 / रूपये थी की चोरी कारित की
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्यारसी लाल अपने उडद व गेहू को फरियादी ने अपने मकान में रखा था व ताला लगाया था। दिनांक 28.09.08 को फरियादी जब खेत पर से गांव अपने मकान पर आया तो फरियादी ने देखा कि उसके

कमरे का ताला टूटा हुआ है तथा फरियादी के कमरे में से चार बोरी उड़द व दो बोरी गेंहू की नहीं थी, फरियादी को चला कि उक्त चोरी की घटना को गांव के जुगराज, पणू व बाबूलाल द्वारा की गई है, जिसे चोरी करते हुये गांव की ही फूलाबाई व उसके लड़के ने देखा है। फरियादी ग्यारसी लाल ने थाना चंदेरी में जाकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी। जो कि पुलिस थाना चंदेरी में अपराध क्रमांक—332/08 अंतर्गत धारा 457, 380 भादिव के तहत लेखबद्ध कराई। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 05— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निद्रोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 28.09.2008 एवं 29.09. 2008 की दरिमयानी रात में फिरयादी ग्यारसी लाल के मकान स्थित ग्राम पांडरी सिंहपुर में चोरी करने के आशय से रात्रों गृह भेदन किया।
 क्या उक्त दिनांक व समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फिरयादी ग्यारसी लाल के निवास से चार बोरी उडद और दो बोरी गेंहू जिनकी कीमत करीबन 6000 / रूपये थी की चोरी कारित की ?
 दोष सिद्धि एवं दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 07— फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा—1) का अपने कथनों में कहना है कि लगभग चार पहले उसके घर से गेंहू और उडद चोरी हो गये थे, जिनकी कीमत कुल 6000/— रूपये थी। इस साक्षी का कहना हे कि चोरी की घटना के समय वह चंदेरी में था तथा उसने चोरी की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अज्ञात के विरूद्ध लेख करायी थी। फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा—1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों में अभियोजन का इस बात पर समर्थन नही किया है कि उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध चोरी की नामदर्ज रिपोर्ट लेख करायी थी। जबकि प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में फूलाबाई व उसके लडके रामपाल को अभियुक्तगण को चोरी करते हुये, देखना लेख कराया है तथा उक्त आधार पर ही अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रदर्श पी 1 की नामजद रिपोर्ट लेख की गई।
- 08— अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट लेख कराने के संबंध में एवं अभियुक्तगण को चोरी करते हुये फूलाबाई व उसके लडके रामपाल द्वारा देखने के संबंध में, अपने

न्यायालीन कथनों में फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा—1) द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन ने देने के कारण इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षरण किया गया। फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा—1) ने अपने परीक्षण में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना अवश्य स्वीकार किये है, परन्तु इस साक्षी ने रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 व पुलिस कथन प्रदर्श पी 4 में उल्लेखित घटना लेख कराने से ही इन्कार किया है तथा इस बात का भी स्पष्ट खण्डन किया है कि आरोपीगण ने उसके घर में घुस कर उडद और गेंहू की चोरी की थी।

- 09— प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार चोरी की घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रामपाल अहिरवार (अ0सा—3) व उसकी मां फूलाबाई (अ0सा—4) के कथन भी अभियोजन ने अपने समर्थन में कराये है, परन्तु इन साक्षियों ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिये हैं। रामपाल अरिहवार (अ0सा—3) जहां अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करता है। वहीं उसकी मां फूलाबाई अपने न्यायालीन कथनों को यह अवश्य स्वीकार करती है कि चार पांच साल पहले जब वह ग्यारसी लाल (अ0सा—1) जो कि उसका भाई उसके यहां थी, तो उसने सुना था कि चोरी हो गयी है, परन्तु चोरी किसने की है, उसे नहीं मालूम। इस साक्षी का यह भी कहना है कि उसने किसी को चोरी करते हुये नहीं देखा।
- 10— अभियोजन कहानी के अनुसार रामपाल अहिरवार (अ०सा—3) व फूलाबाई (अ०सा—4) चोरी की घटना के प्रत्यक्ष साक्षी थे, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का इस बात का लेषमात्र भी समर्थन नही किया कि उन्होंने अभियुक्तगण को फरियादी ग्यारसी लाल के घर से गेंहू और उडद की चोरी करते हुये घटना दिनांक को देखा था। इन दोनो ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उनका परीक्षण किया गया, परन्तु इन दोनो ही साक्षियों ने अपने संपूर्ण परीक्षण में अभियुक्तगण के विरूद्ध एवं अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये है।
- 11— अतः अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि घटना दिनांक को रात्री में अभियुक्तगण को किसी व्यक्ति ने फरियादी के मकान से गेंहू और उडद की चोरी करते हुये देखा था। फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा—1) अपने न्यायालीन कथनो में चार—पांच वर्ष पूर्व अपने घर से गेहूं और उडद की चोरी होने की घटना अवश्य बताता है तथा इसके संबंध में पुलिस थाना चंदेरी में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट भी लेखबद्ध कराने के संबंध में कथन देता है। फरियादी के घर से गेंहू और उडद की चोरी हुई इस बात का समर्थन साक्षी फूलाबाई (अ०सा—4) ने भी अपने कथनों में किया है तथा फरियादी द्वारा थाने पर की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी1 की पुष्टि स्वयं रिपोर्ट लेखक सहायक उपनिरीक्षक शिवमंगल सिंह (अ०सा—2) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है।
- 12— फरियादी जहां रिपार्ट प्रदर्श पी 1 का बी से बी भाग लेख न कराना बताता हैं, वहीं शिवमंगल सिंह (अ0सा—2) फरियादी के कथनो के विपरीत अपने न्यायालीन कथनो में यह कहता है कि फरियादी ने ही प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट का बी से बी भाग लेख

कराया था तथा प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव का स्पष्ट खण्डन किया है कि फरियादी ने रिपोर्ट में आरोपीगण का नाम लेख नहीं कराया था तथा बी से बी भाग की रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं करायी थी। अतः नामजद रिपोर्ट लेख कराने एवं प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट का बी से बी भाग फरियादी के अनुसार लिखे जाने के संबंध में फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा–1) व शिवमंगल सिंह (अ०सा–2) के कथनों में आपस में ही विरोधाभास की स्थित है।

- 13— हालांकि फरियादी ने एवं फूलाबाई (अ०सा—४) ने अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन के समर्थन में न्यायालय में कोई कथन नहीं दिये हैं, परन्तु इन साक्षियों ने इस संबंध में स्पष्ट कथन दिये हैं कि घटना दिनांक को फरियादी के घर से गेंहू और उडद की चोरी हुई थी, जिसके संबंध में थाने पर भी रिपोर्ट हुई थी। उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष के द्वारा इन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई, जिससे चोरी की घटना होने एवं उसकी रिपोर्ट थाने पर किये जाने के संबंध में फरियादी ग्सारसी लाल की साक्ष्य अखण्डित है। फरियादी के द्वारा थाने पर की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दिनांक 02. 10.08 को घटना के दो दिन बाद पुलिस थाना चंदेरी में की गई, इस बात की पुष्टि स्वयं रिपोर्ट लेखक शिवमंगल सिंह (अ०सा—2) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है।
- 14— विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि साक्षी के पक्षविरोधी हो जाने के बाद भी उसकी उतनी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है जितना की वह अभियोजन के समर्थन में हों। प्रकरण में ग्यारसी लाल (अ0सा—1) व फूलाबाई (अ0सा—4) ने भले ही अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन के समर्थन में न्यायालय में कथन नहीं दिये परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने फरियादी ग्यारसी लाल (अ0सा—1) के घर से गेंहू और उडद की चोरी की घटना से भी इन्कार नहीं किया तथा गेंहू और उडद की चोरी होने के संबंध में एवं उसकी रिपोर्ट करने के संबंध में स्पष्ट कथन दिये। जिससे यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को फरियादी के निवास ग्राम पाडरी सिंहपुर से गेंहू और उडद की चोरी हुई थी। अतः अब मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि वास्तव उक्त चोरी की घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई अथवा नहीं।
- 15— फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा—1) के घर से गेंहू और उडद की चोरी की घटना के अभियोजन कहानी के अनुसार मात्र दो प्रत्यक्ष साक्षी रामपाल अहिरवार (अ०सा—3) व फूलाबाई (अ०सा—4) थे, परन्तु इन दोनो ही साक्षियों के अभियुक्तगण के विरूद्ध एवं अभियोजन के समर्थन में न्यायालय में कोई कथन नही दिये तथा अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस को भी कोई कथन नही दिये थे। अतः चोरी की घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई, इस आशय की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर नही है। जहां चोरी की घटना की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नही होती है, वहां प्रकरण में चोरी गये माल की जप्ती एवं जिस आधार पर जप्ती की कार्यवाही की गई, वह महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिसको संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।
- 16— प्रधान आरक्षक रामदास (अ०सा–10) के द्वारा प्रकरण में विवेचना की गई जिसने न्यायालय में कथन दिये है कि दिनांक—15.08.12 को अभियुक्तगण बाबूलाल, पप्पू और

जुगराज से साक्षी प्रवीण कुमार (अ०सा—6) व नौशाद (अ०सा—9) के समक्ष नया बस स्टेण्ड चंदेरी पर उसने पूछताछ की थी तथा उक्त पूछताछ में यह स्वीकार किया था कि उन्होंने दो क्विंटल उडद और गेंहू ग्राम पाडरी से चोरी किया था और यह बताया था कि उनके हिस्से में 50—50 किलो आया है, जो उन्होंने घर पर छुपा कर रखी है और उसे बरामद कराना बताया था। इस साक्षी का कहना है कि नया बस स्टेण्ड पर ही उसने प्रवीण कुमार (अ०सा—6) व नौशाद (अ०सा—9) के समक्ष धारा 27 का मेमोरेण्डम अभियुक्तगण का लिया था जो कमशः प्रदर्श पी 12, 11 और 10 हैं, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।

- 17— रामदास (अ०सा—10) ने यह कथन दिये है कि उसने प्रवीण कुमार (अ०सा—6) व नौशाद (अ०सा—9) के समक्ष उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण पप्पू, जुगराज और बाबूलाल को गिरफ्तार किया था और उनके बताये अनुसार उनके घर से 50—50 किलो उडद साक्षी जालम (अ०सा—12) व बृजभान (अ०सा—7) के समक्ष जप्त की थी और उडद जप्त कर कमशः उपरोक्त साक्षियों के समक्ष ही जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 13, 14 व 15 तैयार किये थे, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किये हैं।
- 18— यहां यह उल्लेखनीय है कि विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि मेमोरेण्डम और जप्ती के पत्रक अपने आप में साक्ष्य नहीं होते हैं, जब तक कि उनके तथ्यों को प्रमाणित न कराया जावे तथा मैमोरेण्डम और जप्ती पंचनामा के तथ्यों को उनके गवाहों से प्रमाणित कराया जा सकता है उसी पश्चात वह साक्ष्य में ग्राह्य होते हैं अतः स्पष्ट है कि मैमोरेण्डम पत्रक प्रदर्श पी 10, 11 व 12 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 13, 14 व 15 अपने आप में उनमें उल्लेखित कार्यवाही का निश्चाक प्रमाण नहीं है, बिल्क उसकों उनके साक्षियों के कथनों से साबित करने का भार अभियोजन पर है।
- 19— अभियोजन की ओर से धारा 27 के मेमोरेण्डम प्रदश्न पी 10, 11 व 12 के साक्षी प्रवीण (अ0सा—6) व नौशाद (अ0सा—10) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं तथा साथ ही जप्ती पंचनामा के साक्षी जालम (अ0सा—12) व बृजभान (अ0सा—7) के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं। साक्षी प्रवीण (अ0सा—6) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त जुगराज को जानना अवश्य बताया है तथा मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10, 11 व 12 पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किये हैं, परन्तु इस साक्षी ने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10, 11 व 12 की कार्यवाही के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नही दिये है तथा इस साक्षी का कहना है कि उसने हस्ताक्षर तब किये थे, इसकी उसे जानकारी नही है। जालम (अ0सा—12) का कहना है कि उसे प्रकरण की कोई जानकारी नही है तथा पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नही की। इसी प्रकार बृजभान (अ0सा—7) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है।
- 20— साक्षी प्रवीण (अ0सा—6) जालम (अ0सा—12) व बृजभान (अ0सा—7) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन साक्षियों को पक्षविरोधी कर अभियोजन द्वारा उनका विस्तृत परिक्षण किया गया, परन्तु इनमें से किसी भी साक्षी ने प्रकरण में रामदास

(अ0सा—10) के द्वारा की गई कार्यवाही के समर्थन में कोई कथन नही दिये। प्रवीण (अ0सा—6) ने अपने परीक्षण अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ दौरान रामदास (अ0सा—10) को दी गई जानकारी जिसका उल्लेख प्रदर्श पी 10 लगायत 12 के मेमोरेण्डम में है उसके सामने दिये जाने से ही इन्कार किया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन के विरुद्ध यह कथन दिये है कि पुलिस ने न तो आरोपीगण को उसके सामने गिरफतार किया और न ही आरोपीगण के प्रदर्श पी 10 लागयत 12 के मेमोरेण्डम के कथन उसके सामने लिये है।

- 21— बृजभान (अ०सा—७) व जालम (अ०सा—१२) ने भी अपने सामने आरोपीगण से प्रदर्श पी 13 लगायत 15 में उल्लेखीत जप्ती न होना बताया है। बृजभान (अ०सा—७) में उपरोक्त पत्रकों पर अपने हस्ताक्षर अस्वीकार किये हैं। वहीं जालम (अ०सा—१२) ने अपने हस्ताक्षर तो स्वीकार किये हैं, परन्तु इस साक्षी का यह कहना है कि उसके सामने आरोपीगण से ग्राम पाडरी में पुलिस ने 50—50 उडद न तो जप्ती की और न ही जप्ती पत्रक उल्लेखित कार्यवाही उसके सामने हुई। इस साक्षी का भी कहना है उसके हस्ताक्षर दीवानी जी ने बाजार में करा लिये थे। अतः ऐसे में अभियोजन साक्षी प्रवीण (अ०सा—६) जालम (अ०सा—12) व बृजभान (अ०सा—७) के कथनों से अभियोजन को मेमोरेण्डम व जप्ती कार्यवाही प्रमाणित करने में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 22— अभियुक्त अमोल से की गई पूछताछ एवं पूछताछ के दौरान तैयार किये गये धारा 27 मेमोरेण्डम के साक्षी ग्याप्रसाद (अ०सा—11) व संतोष (अ०सा—12) ने भी उपरोक्त साक्षियों के समान ही अमोल से की गई पूछताछ के दौरान तैयार किये गये मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 8 एवं उसकी गिरफ्तारी प्रदर्श पी 7 को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नही दिये। प्रदर्श पी 7 का गिरफ्तारी पंचनामा एवं प्रदर्श पी 8 का मेमोरेण्डम दिल्ली दरवाजे पर लिये जाने का लेख है, परन्तु साक्षी ग्याप्रसाद (अ०सा—11) का कहना है कि उसके हस्ताक्षर पुलिस ने सब्जी मण्डी में कराये थे तथा उसके सामने कोई कार्यवाही नही हुई। इसी प्रकार संतोष (अ०सा—5) ने भी अभियोजन का समर्थन न करते हुये प्रदर्श पी 7 व 8 पर अपने हस्ताक्षर होने से ही इन्कार किया है। इन दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उनका परीक्षण किया गया, परन्तु इन साक्षियों के द्वारा अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नही किया गया।
- 23— अतः अभियुक्त जुगराज, रामिसंह व बाबूलाल के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगायत 12 एवं उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर की गई जप्ती इस संबंध में तैयार किये गये जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 13, 14 व 15 की कार्यवाही को साबित करने के लिये अभियोजन के पास केवल रामदास (अ0सा—10) व नौशाद खां (अ0सा—9) की साक्ष्य शेष बचती है तथा अभियुक्त अमोल के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 8 व गिरफ्तारी प्रदर्श पी 7 की कार्यवाही को साबित करने के लिये मात्र रामदास (अ0सा—10) की साक्ष्य शेष बचती है। जिसका सूक्ष्म मूल्याकंन किया जाना आवश्यक है।
- 24— रामदास (अ0सा–10) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण

जुगराज रामिसह व बाबूलाल के धारा 27 के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगायत 12 एवं गिरफ्तारी प्रदर्श पी 9 की कार्यवाही के साक्षी प्रवीण (अ०सा—6) व नौशाद (अ०सा—10 नगर रक्षा समिति के ही सदस्य हैं। निश्चित रूप से पुलिस के साक्षी किसी भी कार्यवाही के समक्ष साक्षी हो सकते है। इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है, परन्तु रामदास (अ०सा—10) के अनुसार अभियुक्तगण जुगराज, रामिसह व बाबूलाल के धारा 27 के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगायत 12 एवं गिरफ्तारी प्रदर्श पी 9 की कार्यवाही नया बस स्टेण्ड चंदेरी में की गई जो कि एक भीड—भाड वाला स्थान है, जहां से आसानी से कोई भी साक्षी उपलब्ध हो सकता था, परन्तु मौके के साक्षियों को न लेकर रामदास अभियुक्तगण जुगराज, रामिसह व बाबूलाल के धारा 27 के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगायत 12 एवं गिरफ्तारी प्रदर्श पी 9 की कार्यवाही 10 के द्वारा मेमोरेण्डम एव गिरफ्तारी का साक्षी बिना किसी कारण के नगर रक्षा की समिति को बनाया गया।

- 25— साक्षी प्रवीण (अ०सा—6) ने जहा अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नही दिये है, वही नौशाद (अ०सा—9) के कथनों से रामदास (अ०सा—10) के द्वारा प्रकरण में की गई मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। नौशाद (अ०सा—9) नगर रक्षा समिति का सदस्य होकर पुलिस का साक्षी है यह उसने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है, यदि इस बात को नजर अंदाज करते हुये भी उसके कथनों पर विचार किया जावे, तो उसने अभियुक्तगण जुगराज, रामसिह व बाबूलाल के धारा 27 के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगातय 12 एवं गिरफ्तारी प्रदर्श पी 9 की कार्यवाही के संबंध में यह कथन दिये है कि उक्त कार्यवाही थाने पर हुई थी जबकि रामदास (अ०सा—10) के अनुसार नया बस स्टेण्ड चंदेरी पर उक्त कार्यवाही की गई।
- 26— नौशाद (अ0सा—9) के समक्ष अभियुक्त अमोल से न तो पूछताछ हुई ओर न ही उसका मेमोरेण्डम लिया गया, परन्तु यह साक्षी अमोल से पुलिस द्वारा पूछताछ भी अपने सामने होना बताता है। मेमोरेण्डम में गेंहू और उडद दोनों के संबंध में अभियुक्तगण द्वारा दी गई जानकारी का उल्लेख हैं, परन्तु यह साक्षी मात्र अभियुक्तगण द्वारा उडद के संबंध में जानकारी देना बताता है तथा यह स्पष्ट कहता है कि गेंहू के संबंध में जुगराज, पप्पू व अमोल ने उसे नही बताया था और न ही यह बताया कि कितने—कितने किलो उडद व गेंहू अभियुक्तगण के हिस्से में आये थे। यह साक्षी अभियुक्तगण की अपने सामने गिरफ्तारी होने से ही इन्कार करते हुये अभियुक्तगण को थाने पर ही मिलना बताता है।
- 27— मेमोरेण्डम एव गिरफ्तारी की कार्यवाही दिनांक 15.12.08 की है जो कि इस साक्षी के कथन देने के दिनांक से लगभग 10 वर्ष पूर्व की है, परन्तु यह साक्षी मेमोरेण्डम एवं गिरफ्तारी का साक्षी होने के बाद भी घटना कथन देने के दिनांक से मात्र ढेड साल पहले की होना बताता है तथा थाने पर अभियुक्तगण से पुलिस द्वारा पूछताछ किया जाना बताता है। समय के साथ प्रत्येक व्यक्ति की याददाश्त में परिवर्तन हो सकता है, परन्तु इतना परिवर्तन की दस साल पूर्व की घटना कोई व्यक्ति ढेड साल पहले की बताये तथा घटना का स्थान ही परिवर्तित कर दे तथा उसे यह याद न रहे कि उसके समाने कहा और किस व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की, ऐसी अपेक्षा किसी से भी नही

की जा सकती है। जबिक ऐसा व्यक्ति नगर रक्षा समिति का स्वयं सदस्य भी है। यदि वास्तव में कोई कार्यवाही इस साक्षी के समक्ष हुई होती तो उसके कथनों में इतना गंभीर विरोधाभास नहीं होता।

- 28— नौशाद (अ०सा—9) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से निश्चित रूप से यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के समक्ष रामदास (अ०सा—10) के द्वारा अभियुक्तगण जुगराज रामिसह व बाबूलाल से नया बस स्टेण्ड चंदेरी पर कोइ पूछताछ नहीं की गई और न ही अभियुक्तगण ने इस साक्षी के समक्ष गेहू और उडद अपने घर से बरामद कराने के संबंध में कोई कथन दिये है और इस बात सत्यता का प्रमाण इस साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में दिये गये कथनों से हो जाता है। जिसमें इस साक्षी का कहना है कि "टी०आइर्० साहब के पास मेरा आना जाना लगा रहता है यह बात सही है कि मै थाने पर आता जाता रहता था इसलिए मेरे नाम से कई लिखपढी करते रहते थे और नरेन्द्र दीवान जी भी मेरे हस्ताक्षर करते रहते थे और मुझे बाद में बता देते थे कि मैने तुम्हारे हस्ताक्षर कर दिये है यह बात सही है कि इसी कारण से मुझे याद नहीं रहता है कि मै किस प्रकरण में गवाही दे रहा हूं"
- 29— नौशाद (अ0सा—9) के उपरोक्त कथनो से इस बात पर लेषमात्र भी संदेह नही रह जाता है कि यह साक्षी पुलिस का प्रयोजित साक्षी है जिसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा मात्र थाने पर उपलब्ध होने के कारण इस साक्षी को मेमोरेण्डम एवं गिरफ्तारी का गवाह बनाया गया है। नया बस स्टेण्ड चंदेरी पर रामदास (अ0सा—10) के द्वारा दर्शायी गई मेमोरेण्डम 10 लगायत 12 एवं उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर कि गई जप्ती की प्रदर्श पी 13 लगायत 15 की कार्यवाही की विश्वसनीयता नौशाद (अ0सा—9) के कथनो से ही समाप्त हो जाती है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामदास (अ0सा—10) ने अपने कथनों में या विवेचना के दौरान तैयार किये गये पत्रकों में ऐसे कोई कारण उल्लेख नहीं किये, जिससे उसे मौके पर स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं हो सकते थे। मेमोरेण्डम व जप्ती के साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने कारण एवं नौशाद (अ0सा—9) के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में की गई उपरोक्त स्वीकारोक्ति कही न कही प्रकरण में की गई विवेचना को संदेह के घेरे में ले आती है।
- 30— यह उल्लेखनीय हैं कि निश्चित रूप से पंच साक्षियों के पक्षविरोधी हो जाने के बाद भी अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य को उसी आधार पर नकारा नही जा सकता है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रकरण की विवेचना में की गई कार्यवाही को ऐसी स्थिति में अपने स्वयं के बल पर साबित करना होगा। ऐसा करने के लिये उसके द्वारा की गई कार्यवाही को उसे न्यायालय में अपने कथनों से संदेह से परे साबित करना होगा। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगायत 12 में अभियुक्त के द्वारा दी गई सूचना एवं उक्त सूचना के आधार पर अनसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी 13 लगायत 15 को साबित करने के लिये मात्र उक्त दस्तावेजो पर प्रदर्श अंकित होना पर्याप्त नही है क्योंकि उक्त दस्तावेज उसमें उल्लेखित कार्यवाही का निश्चायक प्रमाण नही है। उक्त दस्तावेज का केवल पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में उपयोग हो सकता है

वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त दस्तावेजों में उल्लेखित कार्यवाही का पंच साक्षियों के द्वारा समर्थन न करने के बाद उपरोक्त दस्तावेजों में उल्लेखित कार्यवाही के संबंध में रामदास (अ०सा—10) के न्यायालय में दिये गये कथनों को देखा जाना है।

- 31— प्रधान आरक्षक रामदास (अ०सा—10) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उसने दिनांक 15.08.12 को साक्षी प्रवीण कुमार (अ०सा—6) व नौशाद (अ०सा—9) के समक्ष बस स्टेण्ड पर अभियुक्त बाबूलाल, पप्पू और जुगराज से पूछताछ की थी तथा इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया हे कि प्रवीण कुमार (अ०सा—6) व नौशाद (अ०सा—9) नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं। मौके पर पूछताछ का स्थान बस स्टेण्ड जैसी भीड—भाड वाला स्थान होने के बाद भी रामदास (अ०सा—10) द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को गवाह न बना कर नगर रक्षा समिति के साक्षियों को गवाह बनाये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने न्यायालीन कथनों में प्रस्तुत नहीं किया।
- 32— रामदास (अ०सा—10) ने अपने कथनों में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने दो क्विंटल उडद और गेंहू चोरी करना तथा अपने हिस्से में 50—50 किलो आना स्वीकार किया था। यदि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त कथन रामदास (अ०सा—10) के दिये भी गये है तो उक्त कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 तहत साक्ष्य में ग्राहय न होकर अभियुक्तगण के विरुद्ध नही पढ़े जा सकते हैं। रामदास (अ०सा—10) का अपने कथनों में कहना है कि अभियुक्तगण ने 50—50 किलो अपने हिस्से में आना बताया था जो उन्होंने अपने घर पर छुपा कर रखना बताया था। यह उल्लेनीय है कि रामदास (अ०सा—10) ने यह स्पष्ट नही किया कि 50 किलो अभियुक्तगण के हिस्से में क्या आना, अभियुक्तगण ने बताया था। ग्यारसी लाल (अ०सा—1) की रिपोर्ट के अनुसार दो बोरी गेहू की चार उडद के साथ उसके घर से चोरी हुये थे तथा मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगायत 12 में गेंहू के संबंध में भी अभियुक्तगण द्वारा दी गई जानकारी का भी उल्लेख है परन्तु इस संबंध में रामदास (अ०सा—10) ने न्यायालय में कोई कथन नही दिये।
- 33— रामदास (अ०सा—10) के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दिये गये मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगायत 12 में यह उल्लेख है कि अभियुक्त द्वारा 50 किलो चोरी की उड़द बोरी में अपने घर पर छुपा कर रखी है जिसे बरामद कराने का अभियुक्त ने कथन दिया, परन्तु इस संबंध में रामदास (अ०सा—10) के न्यायालय में दिये गये कथन स्पष्ट नही है कि अभियुक्त ने 50—50 किलो क्या बरामद कराने के संबंध में उसे बताया था। घर में किस स्थान पर चोरी की उड़द रखी हुई है इसका उल्लेख न तो मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगायत 12 में है और न ही जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 13 लगायत 15 में इस बात का उल्लेख है कि मकान के किस हिस्से से एवं किस स्थान से अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा उड़द जप्ती की गई। रामदास (अ०सा—10) ने स्वयं भी अपने कथनों में यह कही भी स्पष्ट नही किया गया उसके द्वारा अभियुक्तगण से 50—50 किलो उड़द की जप्ती कहां से व घर के किस स्थान से किसके प्रस्तुत करने पर जप्ती की।

- 34— अतः ऐसे में अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामदास (अ०सा—10) के द्वारा अपने कथनों से विधिवत् मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगायत 12 में अभियुक्तगण द्वारा दी गई सूचना को प्रमाणित करने के लिये न तो कथन दिये है और न ही यह स्पष्ट किया है कि प्रदर्श पी 13 लगायत 15 के मुताबिक की गई उडद की जप्ती अभियुक्तगण के घर के अन्दर किस स्थान से किसके प्रस्तुत करने पर जप्ती की गई, जिससे प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी (अ०सा—10) के कथनों से मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं होती है।
- 35— चोरी के प्रकरणों में चोरी की संपत्ति की पहचान महत्वपूर्ण होती है तथा अज्ञात चोरी के प्रकरणों में उक्त संपत्ति की पहचान के आधार पर भी संपूर्ण कार्यवाही किया जाना संभव होता। वर्तमान प्रकरण ग्यारसी लाल (अ0सा—10) के द्वारा दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो बोरी गेंहू एवं चार बोरी उडद की चोरी की घटना लेख करायी गई है जिसमें उक्त संपत्ति की पहचान के संबंध में यह लेख कराया गया है कि उन बोरियों पर काली स्याही से ग्यारसी लाल का नाम लिखा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का कही उल्लेख नहीं है कि प्लास्टिक के कट्टे में रखी, उडद की चोरी हुई हैं, परन्तु प्रकरण में अभियुक्त बाबूलाल के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 12 से प्लास्टिक का उडद का कट्टा अभियुक्त बाबूलाल के घर से जप्त करना प्रदर्श पी 15 अनुसार दर्शाया गया है। जिसका कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है तथा रामदास ने भी अपने न्यायालीन कथनों में इस बात कोई उल्लेख नहीं किया है कि प्लास्टिक के कट्टे में बाबूलाल से उडद की जप्ती की गई।
- ग्यारसीलाल (अ0सा-1) के मकान से चोरी गये गेंहू और उडद की एक मात्र पहचान 36-उस पर काली स्याही से ग्यारसी लाल का नाम लिखा होना थी जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में है, परन्तु ग्यारसी लाल (अ0सा-10) ने अपने न्यायालीन कथनो में उपरोक्त संबंध में कोइ रिपोर्ट ही पुलिस को लेख न कराना बताया है अतः यदि ग्यारसीलाल नाम के बोरी में रखे गेहू और उडद की चोरी नही हुई, तो अभियुक्त से जप्त दर्शायी उडद की पहचान की उक्त उडद ग्यारसी लाल (अ0सा-1) की है किया जाना ही संभव नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि चोरी के गेंह् और उडद की एक मात्र पहचान बोरियों पर ग्यारसी लाल का नाम लिखा होना था, परन्तु रामदास (अ0सा-10) के द्वारा छः बारियों में से मात्र तीन ही जप्ती की गई तथा यद गंहू का उपयोग अभियुक्तगण ने कर लिया था, उन बारियों की जप्ती जिनमें गेंहू रखें थे अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामदास (अ०सा-10) के द्वारा क्यों नही की गई, इसका कोई उल्लेख रामदास (अ०सा–10) ने अपने कथनों में नही किया। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगायत 12 में इस बात कही उल्लेख नही है कि और उडद बरामद कराने के संबंध में उन्होने ने कथन दिये है उक्त उडद और गेंहू बोरियों पर ग्यारसी लाल लिखा था।
- 37— ग्यारसी लाल (अ०सा—10) के गेंहू और उडद की चोरी की एकमात्र पहचान बोरियों पर ग्यारसी लाल का लिखा होना था परन्तु इसी बिन्दु पर न तो रामदास (अ०सा—10) ने अपने न्यायालय में कोई कथन दिये और न ही अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम में उसका

कोई उल्लेख है। बिल्क इसके विपरीत जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 13, 14 व 15 में विशेष रूप से शब्द नीली काट कर काली लिखी गई है जो कि एक गंभीर काट छांट हैं।

- 38— यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्तगण के घर से उडद की बोरी रामदास (अ0सा—10) के द्वारा ग्यारसी लाल काली स्याही से लिखे हुये बरामद किये गये, तो यह कैसे सुनिश्चित होगा कि वहीं बोरी ग्यारसीलाल के घर से चोरी हुई है क्योंकि चोरी गई बोरी की पहचान उस पर लिखी गई, ग्यारसी लाल की ईबारत एवं जिस स्याही से वो लिखा गया महत्वपूर्ण हैं। प्रकरण में कही भी प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर किये गये संपूर्ण अनुसंधान में यह स्पष्ट नही है कि बोरियों पर ग्यारसीलाल का नाम उसी की हस्तलिपि में था, जो कि बाद में उसी आधार पर पहचाना भी जा सकता था।
- 39— ग्यारसी लाल (अ०सा—1) इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट लेख कराने से ही अपने कथनों में इन्कार करता तथा अपने न्यायालीन कथनों में पंचनामा प्रदर्श पी 3 के संबंध में कोई पहचान कार्यवाही अपने सामने होने से इन्कार करता है। पंचनामा कार्यवाही के साक्षी छोटू सिहारे (अ०सा—8) जो कि वार्ड 18 का पार्षद था तथा जिसके द्वारा प्रदर्श पी 3 की कार्यवाही किया जाना बताया गया है। अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के विरूद्ध शिनाख्त कार्यवाही कराने से ही इन्कार करता है। इस साक्षी का यह कहना है कि प्रदर्श पी 3 न तो उसकी हस्तिलिप में हे न उसने कोई शिनाख्त कार्यवाही करायी। इस साक्षी ने अनुसार पुलिस ने उसके होटल पर हस्ताक्षर करा लिये होंगे।
- 40— अतः यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्तगण से तीन बोरियों में 50—50 किलो उडद जप्त हुई तब भी फरियादी ग्यारसी लाल (अ0सा—1) व छोटू सिहारे (अ0सा—8) के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त उडद फरियादी ग्यारसी लाल (अ0सा—1) के घर से चोरी हुई उडद थी। यदि उक्त तथ्य ही प्रमाणित नहीं होता है कि तो अभियुक्तगण से दर्शायी गई उडद की जप्ती का कोई महत्व नहीं रहा जाता है।
- 41— प्रकरण में फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा—1) के यह कथन अवश्य दिये गये है कि उसके घर से गेहू और उडद चोरी हो गये थे परन्तु इस साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि उक्त घटना को रामपाल (अ०सा—10) व फूलाबाई (अ०सा—4) ने देखा था तथा चोरी गई बोरी पर काली स्याही से ग्यारसी लाल लिखा था। ग्यारसी लाल (अ०सा—1) ने पूरी प्रथम सूचना रिपोर्ट का बी से बी भाग ही पुलिस को न लेख कराना बताया है, वही घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी के रूप में परीक्षण कराये गये रामपाल (अ०सा—10) व फूला बाई (अ०सा—4) ने भी अभियोजन कहानी के विरूद्ध अभियुक्तगण को चोरी करते हुये न देखना बताया है। अतः इन साक्षियों के कथनों से यह प्रमाणित नहीं हे कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा—1) के घर में घुस कर गेहू और उडद की चोरी घटना कारित की।

- (12)
- 42— अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामदास (अ०सा—10) के द्वारा प्रकरण में की गई विवेचना एवं विवेचना के कम में लिये गये अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम एवं अभियुक्तगण से दर्शायी गई जप्ती की कार्यवाही का पंच साक्षियों ने ही कोई समर्थन नहीं किया है तथा नौशाद (अ०सा—9) के कथनों से रामदास (अ०सा—10) के द्वारा की गई विवेचना एवं विवेचना के कम में लिये गये मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 10 लगायत 12 की कार्यवाही संदेहास्पद है। स्वयं रामदास (अ०सा—10) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथन प्रदर्श पी 10 लगायत 12 के मेमोरेण्डम कार्यवाही में अभियुक्तगण द्वारा दी गई सूचना एवं उक्त सूचना के आधार पर प्रदर्श पी 13 लगायत 15 के अनुसार दर्शायी गई जप्ती की कार्यवाही उपरोक्त विवेचन से प्रमाणित नहीं है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 13 लगायत 15 में मुख्य पहचान पर ही की गई काट—छांट भी जप्ती कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त है। फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा—1) व छोटू सिहारे (अ०सा—8) दोनो ही साक्षी प्रदर्श पी 3 की पहचान कार्यवाही होने से ही इन्कार करते हैं जिससे यह स्थापित नहीं होता है कि चोरी गया माल ही फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा—1) को प्राप्त हुआ है।
- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि 43-अभियुक्तगण को फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा–1) के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश करते हुये तथा गेंहू और उडद चारी कर ले जाते हुये, देखने के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामदास (अ0सा-10) के द्वारा लिये गये मेमोरेण्डम एवं उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर की गई जप्ती कार्यवाही का समर्थन पंच साक्षियों के द्वारा न किये जाने के बाद स्वम रामदास (अ0सा-10) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों से उक्त मेमारेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही विधिवत प्रमाणित नही होती है, रामदास (अ०सा-10) के द्वारा जप्ती पत्रक पर गेंहू और उडद की मुख्य पहचान के संबंध में की गई कार-छांट संशेय की स्थिति उत्पन्न करती है, वहीं मेमोरेण्डम में स्वतंत्र साक्षियों को गवाह न बनाये जाने एवं नौशाद (अ०सा–9) के कथनों से रामदास (अ०सा–10) के द्वारा की गई कार्यवाही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। शिनाख्ती पंचनामा कार्यवाही के संमर्थन में फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा–1) व शिनाख्ती कर्ता अधिकारी छोटू सिहारे (अ०सा–8) के द्वारा अभियोजन का समर्थन नं करने से यह प्रमाणीत नहीं होता है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामदास (अ0सा–10) जिस उडद को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 13 लगायत 15 के अनुसार जप्त करना बता रहा है, वही उडद फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा-1) के मकान से चोरी हुई है। अतः ऐसे में अभियुक्तगण के आधिपत्य में फरियादी ग्यारसी लाल (अ०सा–1) के मकान से चोरी गई उडद अभियुक्तगण की निशानदेही पर बरामद हुई यह अभियोजन साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 A के तहत् अभियुक्तगण के विरूद्ध उप-धारणा लिये जाने का कोई आधार अभिलेख पर नही है।
- 44— फलतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि क्या अभियुक्तगण ने

दिनांक 28.09.2008 एवं 29.09.2008 की दरिमयानी रात में फरियादी ग्यारसी लाल के मकान स्थित ग्राम पांडरी सिंहपुर में चोरी करने के आशय से रात्रों गृह भेदन कर फरियादी ग्यारसी लाल के निवास से चार बोरी उडद और दो बोरी गेंहू जिनकी कीमत करीबन 6000 / रूपये थी की चोरी कारित की।

- 14— फलस्वरूप <u>अभियुक्तगण बाबूलाल पुत्र पचुआ अहिरवार,पप्पू उर्फ रामसिंह पुत्र कुन्दा अहिरवार, जुगराज पुत्र ग्यारसी लाल आदिवासी, अमोल पुत्र गनेशा आदिवासी</u> के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा—380, 457 दो शीर्ष के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर <u>अभियुक्तगण बाबूलाल पुत्र पचुआ अहिरवार,पप्पू उर्फ रामसिंह पुत्र कुन्दा अहिरवार, जुगराज पुत्र ग्यारसी लाल आदिवासी, अमोल पुत्र गनेशा आदिवासी 457, 380 दो शीर्ष के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।</u>
- 15— <u>अभियुक्तगण बाबूलाल पुत्र पचुआ अहिरवार,पण्यू उर्फ रामसिंह पुत्र कुन्दा अहिरवार, जुगराज पुत्र ग्यारसी लाल आदिवासी, अमोल पुत्र गनेशा आदिवासी</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा एक क्विंटल पचास किलो उडद पूर्व से फरियादी ग्यारसी लाल की सुपुर्दगी पर सुपुर्दनामा वाद मियाद अपील भार मुक्त समझा जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)